

जायल की जांच रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थी सही नाम जो कि नामान्तरण के समय सुनील बिडियासर के स्थान पर सुशील बिडियासर दर्ज हुआ है।


प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि सुशील बिडियासर एवं सुनील बिडियासर दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये सुशील बिडियासर के स्थान पर सुनील बिडियासर का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) खाता संख्या 748 में दर्ज सहखातेदार नाम सुशील बिडियासर पुत्र चेनाराम के स्थान पर वास्तविक नाम सुनील बिडियासर पुत्र चेनाराम दुरुस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— :: आदेश :: —

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम तरनाउ तहसील जायल की नकल जमाबंदी खाता संख्या 748 खसरानं. 667, 671 में दर्ज नाम सुशील बिडियासर पुत्र चेनाराम के स्थान पर सुनील बिडियासर पुत्र चेनाराम दुरुस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरास्त किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 30/12/2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।



(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल